राज्यपाल सचिवालय, बिहार

संख्या-वीकेएसयू-7/2016-   /रास(।)   दिनांक-

प्रेषक

अपर सचिव

सेवा में

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार
पटना ।

विषय- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 18(13) के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय के अधिषद् में आजीवन दाता सदस्य घोषित किये जाने हेतु एक लाख रूपये की न्यूनतम निर्धारित राशि अथवा समतुल्य राशि की सम्पति की सीमा को बढ़ा कर 25 लाख किये जाने के क्रम में धारा 18(13)के संशोधन पर विचार किये जाने के संबंध में ।

महोदय

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 18(13) के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय के अधिषद् में आज्ञीवन दाता सदस्य घोषित किये जाने हेतु निम्नांकित प्रावधान हैं:-

"Every person who has given to the satisfaction of the Chancellor whether in one or more instalments a sum of not less than one lac rupees in cash or in the shape of property of the equivalent value to or for the purposes of the University or of a College.

Provided that for being a life member of the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, the fixed amount shall be twenty five thousand rupees."

अधिषद्(सीनेट) का आजीवन दाता सदस्य बनने के लिए एक लाख की राशि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों के साथ ही लागु है तथा आज के परिप्रेक्ष्य में यह राशि बहुत ही न्यून प्रतीत होती है । जिसके कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों से अधिषद् का आजीवन दाता सदस्य बनने हेतु बहुतायत संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिसमें अधिसंख्य में गुणवता नहीं होती है अथवा प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होते हैं । राशि कम होने के कारण तथा इतनी कम राशि में विश्वविद्यालय के अधिषद् का आजीवन दाता सदस्य (Life Donor Member of Senate) बनने की योग्यता बिना किसी शर्त के निर्धारित होने के कारण इसमें शिक्षाविद् सदस्य कम तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के प्रस्ताव अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं ।

राजभवन में कुलातियों की बैठक में भी इस राशि को 1,00,000(एक लाख) से बढ़ाकर 25,00,000(पच्चीस लाख) करने हेतु चर्चा हुई थी।

पूर्व में भी इन्हीं कारणों से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित के वर्तमान स्वरूप को संशोधित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

डा० एन०आर०माधव मेनन, पूर्व निदेशक, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ की अध्यक्षता में विचार किया जा रहा था, जिन्होंने भी सम्भवतः इस राशि में वृद्धि किये जाने की अनुशंसा की थी । अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव सम्भवतः राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 18(13) के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय के अधिषद् में आजीवन दाता सदस्य घोषित किये जाने हेतु एक लाख रूपये की न्यूनतम निर्धारित राशि अथवा समतुल्य राशि की सम्पति की सीमा को बढ़ा कर 25 लाख किये जाने के प्रस्ताव को कृपया राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए प्रावधान में यथा संशोधन की दिशा में नियमानुसार यथेचित कार्रवाई पर निर्णय लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-वीकेएसयू-7/2016-1500/रास(I) दिनांक-04-06-2018

प्रतिलिपिः-

1. कुलसचिव, बिहार के सभी विश्वविद्यालय(बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/बिहार पशु विश्वविद्यालय,पटना को छोड़कर)
2. प्रभारी सह तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर कोषांग, राजभवन, पटना के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
3. विश्वविद्यालय शाखा के सभी सहायकगण/गार्ड फाईल को सूचनार्थ प्रेषित ।

4.6.18

अपर सचिव